प्रेस नोट दिनांक 23.07.2026 जनपद फतेहपुर

थाना खागा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत दुकानों का ताला तोड़कर चोरी व नकबजनी की घटना का मात्र 24 घण्टे के भीतर सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 03 चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए गए 1340/- रुपये, घटना में प्रयुक्त एक सब्बल , एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी व दो मोबाइल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 22.07.26 को वादी श्री हंशराज यादव पुत्र विजय करन निवासी ग्राम पुरइन थाना खागा जनपद फतेहपुर थाना खागा पर सूचना दी गयी थी कि दिनांक 21/22.07.26 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान के शटर का ताला तोडकर नकदी चोरी कर ली गई व वादी की दुकान के सामने राजेन्द्र शास्त्री पुत्र दुर्गा प्रसाद शास्त्री निवासी ग्राम पुरइन थाना खागा जनपद फतेहपुर की दुकान का चोरी की नियत से ताला तोड दिया गया है । वादी द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर थाना खागा पर मु0अ0सं0 277/26 धारा 331(2)/305(a) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का विवरण:- श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी व अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी खागा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना खागा पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.07.26 को उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना पर उक्त चोरी की घटना में संलिप्त तीन शातिर अभियुक्तगण 1. संजीव चमार पुत्र स्व0 नाहर सिंह निवासी पटेलनगर थाना रामादेवी जनपद कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष 2. राहुल गौतम पुत्र रमेश निवासी ग्राम भदवा थाना कोखराज जनपद कौशांबी उम्र 25 वर्ष 3. राहुल कुमार सरोज पुत्र दिनेश कुमार सरोज निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना कोखराज जनपद कौशांबी उम्र 21 वर्ष को अकोढ़िया मोड़ के पास थाना खागा जनपद फतेहपुर से किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 1340/- रुपये एवं चोरी की घटना में प्रयोग किया गया एक सब्बल व एक स्कूटी बिना नम्बर प्लेट व जामा तलाशी से 02 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उक्त मुकदमें में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई । गिरफ्तार अभियुक्तगण को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीनों लोग घर से कानपुर की ओर स्कूटी से जा रहे थे ,रात्रि का समय था रास्ते मे स्कूटी में पेट्रोल कम था हम लोगों में से किसी के पास पैसे नहीं थे तो हम लोगों ने पुरइन बाजार में एक परचून की दुकान व एक बेकरी की दुकान के शटर का ताला सब्बल से तोड़ा था परचून की दुकान से हम लोगों को कुछ नहीं मिला था तथा सामने वाले बेकरी की दुकान से 1340 रुपए मिले थे ,जिन्हे पुलिस ने हम लोगों के कब्जे से बरामद किया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. संजीव चमार पुत्र स्व0 नाहर सिंह निवासी पटेलनगर थाना रामादेवी जनपद कानपुर नगर उम्र 19 वर्ष
2. राहुल गौतम पुत्र रमेश निवासी ग्राम भदवा थाना कोखराज जनपद कौशांबी उम्र 25 वर्ष
3. राहुल कुमार सरोज पुत्र दिनेश कुमार सरोज निवासी ग्राम गिरधरपुर थाना कोखराज कौशांबी उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तगण संजीव,राहुल गौतम का अपराधिक इतिहास-

वर्तमान का प्रकरण

अभियुक्त राहुल कुमार सरोज पुत्र दिनेश का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 289/2019 धारा 323/325/504/506 भा0द0वि0 थाना कोखराज कौशाम्बी

बरामदगी:-

1. चोरी किए गए 1340/- रुपये
2. घटना में प्रयुक्त एक सब्बल
3. घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी